:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– मनसुखराम डामोर आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 25/22

01. श्री वागला पिता धारजी पारगी मीणा 70 साल निवासी बडगामा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज.)
1/1. श्रीमति काली बेवा पत्नि वागला पारगी मीणा उम्र 55 साल
1/2. श्री बसु पिता वागला पारगी मीणा
1/3. श्री हीरा पिता वागला पारगी निवासीयान बडगामा
1/4. श्रीमति रमतुडी पुत्री वागला पारगी मीणा उम्र वयस्क हाल निवासी बर मकान पति श्री खेमा भमात मीणा निवासी खमेली तहसील चिखली
1/5. श्रीमति कमुडी पुत्री वागला पारगी मीणा उम्र वयस्क हाल निवास बर मकान पति श्री शंकर कटारा मीणा निवासी कटारापाडा तहसील चिखली
1/6. श्रीमति मीरां पुत्री वागला हाल बरमकान पति श्री अखमा बामणिया मीणा निवासी बोरमाता तहसील चिखली।

वादीगण

बनाम

01. श्री धुला पिता कलजी अहारी मीणा।
02. श्री लेम्बा पिता कलजी अहारी।
03. श्री कावा पिता धुला अहारी मीणा।
04. श्री मोहन पिता धुला अहारी मीणा।
05. श्री नानू पिता धुला अहारी मीणा।
06. श्री शंकर पिता धुला अहारी मीणा।
07. श्री अखमा पिता धुला अहारी मीणा।
08. श्री सोहन पिता धुला अहारी मीणा उम्र वयस्क निवासीयान बडगामा तहसील चिखली।
09. श्री पाटवारी हल्का बडगामा पटवारघर बडगामा तहसील चिखली।
10. श्री गिरदावर देवेन्द्र जी हल्का चिखली पटवारी सर्कल बडगामा तहसील चिखली।?
11. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2002 को शुन्य घोषित एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने हस्ब दफा 188/88/90/91/209 रा.टी.एक्ट 136 एल आर एक्ट

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि वादी नं 1 के खाते कब्जे काश्त की आराजीयात मोजा बडगामा में संवत 2056 के खाता संख्या 184 नया व पुराना 179 की स्थित है जिसका खसरा नम्बर 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 973, 974 कुल खसरा 20 है।

यह कि उपरोक्त खाता वादी न 1 का विरासती होकर स्वामित्व एवं कब्जे काश्त का होने से वादी न 1 व 1/2 इस पर काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे है।

यह कि वादीगण को पारिवारिक खर्च के लिए रूप्यों की आवश्यकता होने से वादी न 1 द्वारा प्रतिवादी न 1 को अपने उपरोक्त खाते कब्जे काश्त की आराजीयात में से दिनांक 12.08.2002 को खसरा नम्बर 937 रकबा 2.II)1 एवं 941 रकबा . II)1 विक्रय कर तहसील चिखली में विक्रय पत्र संपादित कर दिया। उपरोक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य किसी आराजी का विक्रय नहीं किया गया।

यह कि दिनांक 13.08.2022 को प्रतिवादी न 1 व 2 एवं गलाल पिता रंगजी वादी के पास आए और कहने लगे कि कल जो रजिस्ट्री करवाई है उसमें कुछ अंगुठे करने बाकी रह जाने से तहसील में चल कर करने पडेंगे। वादी न 1 अनपढ अशिक्षीत होने से प्रतिवादी न 1 व 2 पर विश्वास कर कि जो रजिस्ट्री दिनांक 12.08.2002 को करवाई गई है उसमें हस्ताक्षर अंगुठे रह जाना होगा इसलिए वह प्रतिवादी न 1 व 2 के साथ तहसील

चिखली में गया जहा पर प्रतिवादी न 1 ने वादी न 1 की जानकारी के विना खसरा नम्बर 938, 939, 940 को विकय किये जाने बाबत एक विकय पत्र अलग से लिखवा रखा था। जिस पर यह कहकर कि कल वाली रजिस्ट्री में अंगूठे रह गये इसलिए इस पर अंगुठे लगा दों चूंकि वादी न 1 अनपढ एवं अशिक्षित होने से प्रतिवादी न 1 की बात पर विश्वास कर अंगुठे लगा दिये। और वादी को यह कहते हुए कि कल वाली रजिस्ट्री के अंगुठे पुनः तहसील में करने से रह गये होने से करने है। तहसील में ले गये और धोखे से वादी की जमीन हडपने की गरज से लिखी गयी। दूसरी रजिस्ट्री पर वादी के अंगुठे करवा कर खसरा न 938, 939, 940 को विकय करने बाबत दस्तावेज विकय पत्र संपादित करवाकर रजिस्ट्री करवा दी। जबकि वादी द्वारा इन खसरा नम्बरों को न तो बेचा गया और न ही इस बाबत किसी प्रकार की वार्ता हुई थी।

यह कि प्रतिवादी न 1 व 2 एवं गलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 471, 420/120 बी. ता. ही. का चल रहा प्रकरण दिनांक 01.03.2013 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागवाडा द्वारा प्रकरण सिविल नेचर का होकर दस्तावेज निरस्त करवाने सिविल न्यायालय में वाद पेश करना होना मानकर प्रतिवादी न 1 व 2 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। इस कारण से प्रतिवादीगण का पुनः वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा न 938, 939, 940 पर अतिकमण करने की धमकिया देकर अतिकमण करने की गरज से हमलावार हो रहे है। और इसी बिना को लेकर दिनांक 06.06.2014 को प्रतिवादीगण न 1 के पुराने मकान पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर एवं अन्य प्रतिवादीगण एकत्रित हुए और पार्टी की। एवं वहा से वादीगण के खसरा नम्बर 938, 939, 940 पर आकर वादीगण को आराजीयात छोडकर चले जाने की धमकिया देकर जान से मारने की कोशिश की। इसकी इत्तला पुलिस थाने में दी गई है। प्रतिवादी न 9 एवं 10 प्रतिवादीगण को सहयोग प्रदान कर वादीगण को डरा धमका रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण न 1 व 2 को फौजदारी प्रकरण में संदेह का लाभ पर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिये जाने से एवं सिविल न्यायालय के अधिकारिता मानते हुए निर्णय पारित करने से वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी न 1 से 8 अतिकमण करने की चेष्टा कर रहे होने से प्रतिवादी गण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर उन्हे अतिकमण करने एवं वादीगण को बेदखल करने से रोका जाना एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हो गई है।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा धोखे से संपादित करवाये गये दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण अपने नाम से खसरा नम्बर 938, 939, 940 का प्रमाणित करवाया गया है। जो कि काबिल निरस्ती के होकर धोखे से दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 13.08.2002 को संपादित करवाया गया है। वह वादीगण के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर होने से निष्प्रभावी घोषित किया जाना एवं नामांतकरण खारिज किया जाकर पुनः वादी न 1 का खाते में नाम अंकित करवाया जाना न्याय संगंत एवं आवश्यक है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से एडवोकेट श्री लालसिंह का वकालतनाम पेश हुआ। 19.02.2015 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जो शा. पत्रावली हुआ। दिनांक 12.03.2015 को वकील प्रति ने नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व ए.सी.जे.एम. कोर्ट सागवाडा के निर्णय की नकल पेश की जो शा. पत्रावली की गई एवं निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. यह कि आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण।

2. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 13.08.2002 को कराई गई रजिस्ट्री जो धोखे में रखकर कराई जाना वाद में अंकित है को वादी अपने विरूद्ध शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने का हकदार है?

जिम्मे वादीगण।

3. अन्य अनुतोष?

जिम्मे वादीगण/प्रतिवादीगण

दिनांक 09.07.2015 को वकील वादी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 22/3 जा.दी. वागला की मृत्यु होने से पेश किया जो शा.पत्रावली किया गया। 29.10.2015 को जवाब प्रा. पत्र पेश हुआ। 05.11.2015 को प्रा.पत्र की बहस सुन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। 11.02.2016 को पत्रावली संख्या 79/15 धुला बनाम वागला इसी प्रकरण से विवादित आराजियात की होकर पक्षकार भी एक ही होने से प्रकरण संख्या 79/15 इस पत्रावली के साथ समाकित की गई। 29.09.2016 को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक पक्षकार के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। संशोधित अनवान शामिल पत्रावली। दिनांक 29.09.2016 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संख्या 79/14 प्रकृत प्रकरण के साथ समेकित किया जाने से पत्रावली पुनः तनकीयात कायमी व साक्ष्य वादी में नियत की गई।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई।

1. आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.08.2022 को कराई रजिस्ट्री धोखे में रखकर कराई जाना अंकित है को वादीगण अपने विरूद्ध शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने के हकदार है।

जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 से आराजीयात खसरा नम्बर 937, 941, 938, 939, 940 कम करने का सौदा तय कर आ.न. 937, 941 की रजिस्ट्री दिनांक 12.08.2002 को ख.न. 938, 941 की रजिस्ट्री दिनांक 13.08.2002 को करवाई और आराजीयात का कब्जा प्राप्त किया आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के खाते कब्जे काश्त होने से प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के खाते कब्जे में होने से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के आराजी कय करने के बाद जबरन आराजी न 937, 941 पर मकान निर्माण कर लिया है तो प्रतिवादीगण मकान विध्वंस कराने/गिरवाने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण का वाद रजिस्ट्री निरस्त शुन्य निष्प्रभावी का होने से क्षेत्राधिकार रेवेन्यु कोर्ट को नहीं हो कर सिविल न्यायालय का है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

7. अन्य अनुतोष।

जिम्मे वादी/प्रतिवादीगण

दिनांक 25.08.2019 को वकील वादी ने साक्ष्य के पक्ष में श्री बसू वागला पीडब्लू 1. खेमा लेम्बा पीडब्लू 2 लखमा अखमा पीडब्लू 3. पेश किये जो शामील पत्रावली किये गये। दिनांक 5.3.2020 को पत्रावली अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारीज की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9/4 को दिनांक 23.09.2022 को स्वीकार किया गया पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वकील वादी द्वारा पेश साक्ष्य निम्नानुसार है–

1. श्री बसू पिता वागला पीडब्लू 1

प्रदर्श 1– खतोनी जमाबंदी संवत् 2068–71
प्रदर्श 2– जमाबंदी संवत् 2056
प्रदर्श 3 ए– विकय पत्र दिनांक 12.08.2002
प्रदर्श 4 ए– विकय पत्र दिनांक 13.08.2002

वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पीडब्लू 1 की जिरह पूर्ण की ।

2. श्री लखमा अखमा पीडब्लू 3

वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पीडब्लू 3 की जिरह पूर्ण की ।

साक्ष्य वादी जिरह बंद की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

दिनांक 02.08.2024 को वकील प्रतिवादी ने निम्नानुसार साक्ष्य को शपथ दिलवाकर बयान लेखबद्ध किये–

1. श्री धुला डीडब्लू 1

प्रदर्श 1– वर्तमान जमाबंदी

2. श्री लक्ष्मण डीडब्लू 2

वकील वादी ने उक्त साक्ष्य की जिरह पूर्ण की पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई। दिनांक 16.08.2024 को पत्रावली पेश हुई वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश कर कहा कि वादी ने उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं विकय पत्र दिनांक 13.08.2002 को शून्य घोषित करने एवं निषप्रभावी घोषित करने का वाद अन्तर्गत धारा 188, 88, 90, 91, 201 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से यह दाद मांगी गई कि वादी के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2002 को जो रजिस्ट्री करवाई गई है उसे निषप्रभावी घोषित की जावे एवं उक्त आराजियात का नामांतकरण निरस्त कर वादीगण को उक्त खसरा सं. 938, 939, 940, का पुनः खातेदार दर्ज किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी चाही गई है। वादी के उक्त वाद का प्रतिवादी ने बिन्दुवार जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात प्रतिवादी धुला ने खरीद किया है। उस दिन से ही काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। वर्तमान मे प्रतिवादी धुला उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार हैं । वादी के पुत्र बसू ने प्रतिवादी द्वारा खरीदशुदा जमीन पर जबरन कुछ हिस्से की जमीन पर मकान बना दिया है। उसे हटाया जावे। वादी के उक्त वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावे के अनुसार तनकियात कायम की जावे एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के गवाहा लिये गये तदनुसार उक्त वाद वादीगण का रजिस्ट्री निरस्त करने शून्य व निषप्रभावी होने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय का है। इस संदर्भ में तनकियात कायम की गई। इसी संदर्भ में वादी के पिता वाग्ला ने प्रतिवादीगण धुला के विरूद्ध सागवाड़ा न्यायालय में 1 आपराधिक मामला प्रकरण संख्या 321/2005 किया गया था। जिसमें उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय जे.एम.कोर्ट सागवाड़ा ने यह प्रतिपादीत किया कि दिनांक 13.08.2002 में उक्त आराजियात नं. 938, 939, 940 की रजिस्ट्री धोखे से कराली हैं संभव नहीं है। यह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है और उपतहसील चिखली में पक्षकारों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में धोखे से उक्त दस्तावेज संपादित कराये है यह संदेह से परे हैं तथा माननीय न्यायालय जे.एम.कोर्ट सागवाडा में मूलजिमानों को बरी कर यह दृष्टांत प्रस्तुत किया कि वादी ने 12.08.2002 को रजिस्ट्री धोखे से कराई है। उसे सक्षम न्यायालय में निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। इसी संदर्भ

में वादी वाग्ला के पुत्र बसू का बयान पीडब्लू 1 हुआ जिसमें उक्त आराजियात पर धूला का कब्जा होना उक्त वाद रजिस्ट्री केंसल हेतु किया गया होना स्वीकार किया गया है तथा लखमा ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उक्त आराजियात पर धुला वगैरा का कब्जा एवं मकान बने हुए है। इसी तरह प्रतिवादी धुला ने अपने बयान में अपना मकान होना व कब्जा होना व रजिस्ट्री संपादित कराना स्वीकार किया है तथा डीडब्लू 2 लक्ष्मण ने भी प्रतिवादी धुला का कब्जा होना व मकान होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वादी अपना कब्जा एवं वाद की अहम तनकियात रजिस्ट्री के केंसिल करने हेतु वाद बता रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय का है। वादी का वाद द्वारा वाद रजिस्ट्री केंसल कराने तथा वादी का उक्त आराजियात पर किसी तरह का कोई कब्जा नही होना गवाहनों के बयान से साबित हो रहा है। वादी के पुत्र बसू ने वादी द्वारा खरीद कि हुई आराजियात के कुछ हिस्से पर जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है जिसे हटाया जाने की प्रार्थना है। अतः वादी का वाद निरस्त फरमावे ।

वकील वादी ने 06.9.2024 को उपस्थित होकर अपनी मौखिक बहस में कहा की वादग्रस्त आराजी पर वाग्ला एवं उनके फोत हो जाने पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री मूल रजिस्ट्री दिनांक 12.08.2002 के बाद वादी को धोखे मे रखकर करवाई गई है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री को शून्य एवं निषप्रभावी घोषित किया जाकर वादीगण के साथ न्याय किया जावे। पत्रावली में दिनांक '..... को मोजित बहस सूनी गई जिसमें वकील वादी ने पूनः 08.01.2025 को उपस्थित होकर अपनी मौखिक बहस में कहा की वादग्रस्त आराजी पर वाग्ला एवं उनके फोत हो जाने पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री मूल रजिस्ट्री दिनांक 12.08.2002 के बाद वादी को धोखे मे रखकर करवाई गई है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री को शून्य एवं निषप्रभावी घोषित किया जाकर वादीगण के साथ न्याय किया जावे

महान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण में तनकिवार निर्णय करना उचित समझता हूं।

तनकी नं. 1– वादग्रस्त आरजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना एवं प्रतिवादी खातेदार होने से इस तनकी का निर्णय में वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में करना उचित समझता हूं ।

तनकी नं. 2– वादग्रस्त आरजी की रजिस्ट्री जो दिनांक 13.08.2002 को हुई है। जिसे वादी शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाना चाहता है। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नही होने से इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में करना उचित समझता हूं।

तनकी नं.3– दिनांक 12.08.2002 व 13.08.2002 को हुई दोनो रजिस्ट्रीया प्रतिवादी के नाम हुई है एवं प्रतिवादी उक्त आराजियात का खातेदार है साथ ही प्रतिवादी का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में करना उचित समझता हूं।

तनकी नं.4 – यह भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में करना उचित समझता हूं।

तनकी नं. 5– प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त करें।

तनकी नं. 6– वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय करना उचित समझता हूं।

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद जो रजिस्ट्री शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का है। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रंवणाधिकार में नही है एवं पत्रावली में शामील जे.एम.कोर्ट सागवाडा के निर्णय में भी उल्लेखित किया है कि रजिस्ट्री शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने हेतु वादी को सक्षम न्यायालय/सिविल न्यायालय में वाद दर्ज करना चाहिए था। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 08.01.2025 को सरेईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली, बांसवाड़ा

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– मनसुखराम डामोर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 25/22 निर्णय दिनांक :–08.01.2025

01. श्री वागला पिता धारजी पारगी मीणा 70 साल निवासी बडगामा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज.)
    1/1. श्रीमति काली बेवा पत्नि वागला पारगी मीणा उम्र 55 साल
    1/2. श्री बसु पिता वागला पारगी मीणा
    1/3. श्री हीरा पिता वागला पारगी निवासीयान बडगामा
    1/4. श्रीमति रमतुडी पुत्री वागला पारगी मीणा उम्र वयस्क हाल निवासी बर मकान पति श्री खेमा भमात मीणा निवासी खमेली तहसील चिखली
    1/5. श्रीमति कमुडी पुत्री वागला पारगी मीणा उम्र वयस्क हाल निवास बर मकान पति श्री शंकर कटारा मीणा निवासी कटारापाडा तहसील चिखली
    1/6. श्रीमति मीरां पुत्री वागला हाल बरमकान पति श्री अखमा बामणिया मीणा निवासी बोरमाता तहसील चिखली।

वादीगण

बनाम

01. श्री धुला पिता कलजी अहारी मीणा।
02. श्री लेम्बा पिता कलजी अहारी।
03. श्री कावा पिता धुला अहारी मीणा।
04. श्री मोहन पिता धुला अहारी मीणा।
05. श्री नानू पिता धुला अहारी मीणा।
06. श्री शंकर पिता धुला अहारी मीणा।
07. श्री अखमा पिता धुला अहारी मीणा।
08. श्री सोहन पिता धुला अहारी मीणा उम्र वयस्क निवासीयान बडगामा तहसील चिखली।
09. श्री पाटवारी हल्का बडगामा पटवारघर बडगामा तहसील चिखली।
10. श्री गिरदावर देवेन्द्र जी हल्का चिखली पटवारी सर्कल बडगामा तहसील चिखली।?
11. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2002 को शुन्य घोषित एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने हस्ब दफा 188/88/90/91/209 रा.टी.एक्ट 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविंद पाटीदार प्रतिवादी की ओर से।

प्रकरण में डिक्री दी जाती है कि उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद जो रजिस्ट्री शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का है। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नही है एवं पत्रावली में शामील जे.एम.कोर्ट सागवाडा के निर्णय में भी उल्लेखित किया है कि रजिस्ट्री शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने हेतु वादी को सक्षम न्यायालय/सिविल न्यायालय में वाद दर्ज करना चाहिए था। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.01.2025 को जारी की गई।

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

मुदई	रूपया / पैसा	मुद्दायला	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीशनर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीशनर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली